दैनिक भारत कि

तामीर

संपादक - काझी मकदूम शफीउद्दीन hinditameer@gmail.com

Editor in chief- Qazi makhdoom shafiuddin

बीड (महाराष्ट्र) | वर्ष-१ ला | अंक-२७७ वा | बुधवार ७ मे २०२५ | RNI TITLE CODE:MAHHIN11405/120/1/3/2024 | किमत : २ रूपये | पन्ने - ४

सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश: महाराष्ट्र में चार माह के भीतर हो स्थानीय निकाय चुनाव, २०२२ से पहले की ओबीसी आरक्षण व्यवस्था लागू रहेगी

मुंबई, : जमीर काजी

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को महाराष्ट्र सरकार और राज्य चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि राज्य की सभी लंबित स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं (नगरपालिका, महानगरपालिका, पंचायत समितियों) के चुनाव आगामी चार महीनों के भीतर कराए जाएं। कोर्ट ने स्पष्ट निर्देश दिया कि चुनाव की अधिसूचना अगले चार हफ्तों में जारी की जाए और चुनाव प्रक्रिया को चार माह में पूरा किया जाए। यह फैसला न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने सुनाया। सुनवाई के दौरान उन्होंने ओबीसी आरक्षण से जुड़े मामलों पर भी अहम टिप्पणियाँ कीं। न्यायमूर्ति सूर्यकांत ने कहा कि, आरक्षण अब रेल के डिब्बे जैसा हो गया है, जो उसमें चढ़ चुका है, वह किसी और को चढ़ने नहीं देता। लेकिन यह राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हर वर्ग को उचित प्रतिनिधित्व दे।

चुनाव कराने के निर्देश:

चार सप्ताह के भीतर अधिसूचना जारी करें, और

चार महीनों के भीतर चुनाव संपन्न करें।

ओबीसी आरक्षण पर निर्देश:

सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि १९९४ से २०२२ तक जो ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था थी, उसी के अनुसार ही अब चुनाव कराए जाएं।

कोर्ट ने २०२२ में प्रस्तुत की गई रिपोर्ट, जिसमें ओबीसी की सीटें कम की गई थीं, को खारिज करते हुए कहा कि २०२२ से पहले की व्यवस्था बहाल की जाए।

इससे पहले २०२१ में राज्य चुनाव आयोग ने कुछ जिलों में ओबीसी, एससी/एसटी को मिलाकर ५०% से अधिक आरक्षण देने की अधिसूचना जारी की थी, जिसे हाईकोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया था।

चुनावों में देरी और प्रशासनिक कब्जे पर नाराज़गी:

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि औरंगाबाद और नवी मुंबई जैसी जगहों पर पिछले पांच सालों से प्रशासक बैठे हैं, जो लोकतांत्रिक व्यवस्था के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकायों में चुने गए जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति अनिवार्य है।

सभी दलों ने जताई सहमति:

सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राजनीतिक दलों से पूछा कि क्या किसी को चुनाव कराने पर आपत्ति है? इस पर किसी भी दल ने विरोध नहीं किया, और सभी ने जल्द से जल्द चुनाव कराने की मांग की। दलों ने यह भी कहा कि चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग के माध्यम से कराए जाएं, क्योंकि राज्य सरकार ने पहले आयोग के अधिकार छीने थे।

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि मुख्य मुद्दा ओबीसी आरक्षण से जुड़ा था, लेकिन अब राजनीतिक आरक्षण की बहाली २०२२ से पहले की स्थिति के अनुसार की जाए। साथ ही राज्य चुनाव आयोग को निर्देश दिया कि वह चार सप्ताह में सभी चुनावों की अधिसूचना घोषित करे।

इस ऐतिहासिक आदेश के बाद, मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर सहित महाराष्ट्र की कई महानगरपालिकाओं और अन्य स्थानीय निकायों के लंबे समय से लंबित चुनावों का रास्ता साफ हो गया है।

बीड में गंभीर जलसंकट के खिलाफ शुक्रवार को भव्य 'हंडा मोर्चा' का आयोजन

शेख निजाम, भागवत तावरे सहित नागरिकों का आह्वान

बीड, ६ मई (प्रतिनिधि)

तेज़ गर्मी और बढ़ती धूप के कारण बीड़ शहर और आसपास के क्षेत्रों में भीषण जलसंकट की स्थिति उत्पन्न हो गई है। बीड़ शहर को पानी की आपूर्ति बिंदुसरा डैम और माजलगांव बैकवॉटर योजना के माध्यम से की जाती है, लेकिन माजलगांव योजना के अंतर्गत काडी वडगांव क्षेत्र में पाइपलाइन फट जाने और अन्य तकनीकी दिक्कतों के कारण पिछले एक महीने से शहर को पानी की आपूर्ति पूरी तरह बाधित है।

इस वजह से नागरिकों को पीने के पानी के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है और उन्हें मजबूरी में निजी टैंकरों से महंगा पानी खरीदना पड़ रहा है। आम जनता बुरी तरह परेशान है, लेकिन बीड़ विधानसभा क्षेत्र के जनप्रतिनिधि केवल सोशल मीडिया और अखबारों में अपनी तस्वीरें छपवाने में व्यस्त हैं। अब तक उन्होंने जलसंकट से निपटने के लिए कोई ठोस और व्यावहारिक कदम नहीं उठाया है।

पिछले ५० वर्षों से बीड़ शहर पर एक ही परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन उनके शासनकाल में शहर की समस्याओं का कभी भी गंभीरता से समाधान नहीं किया गया। समस्याएँ वर्षों से लंबित हैं और प्रशासन की ओर से किसी ठोस दिशा की झलक नहीं मिलती। बीड़ नगर परिषद का प्रशासन पूरी तरह से ठप हो चुका है। नागरिकों को स्वच्छता, जल आपूर्ति, स्ट्रीट लाइट्स और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि केवल अपनी प्रशंसा करने में व्यस्त हैं और यह जताते रहते हैं कि उन्होंने ही सब कुछ किया है-कोर्ट में यह लड़ा, वहां निर्णय लिया-लेकिन आम लोगों की मूलभूत जरूरतों से उनका कोई लेना-देना नहीं है। इन्हीं समस्याओं के विरोध में शुक्रवार, ९ मई २०२५ को सुबह ११ बजे, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर की प्रतिमा से बीड़ नगर परिषद कार्यालय तक एक भव्य 'हंडा मोर्चा' निकाला जाएगा। इस आंदोलन में बीड़ शहर के नागरिकों से भारी संख्या में शामिल होने की अपील की गई है। यह आह्वान राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के शेख निजाम, लोकपत्रकार भागवत तावरे, शेख अमर, खय्यूम इनामदार, जयंत वाघ, शेख खदीर, शेख असरार, शेख जाकीर, सय्यद आज़म, पठान आयुब, शेख शहबाज़ कादरी, मोमिन जुबैर, शेख नसीर, सय्यद फहीम, सत्तार इनामदार, शेख हामिद, बळीराम शिराळे सहित कई नागरिक नेताओं द्वारा किया गया हैश्र

३५ वर्षों तक सत्ता में रहे क्षीरसागर ने बीड़ वासियों को सड़ी हुई लाशों वाला पानी पिलाकर कौन सा पराक्रम किया?-नवनाथ अण्णा शिराळे पाटील का आरोप

बीड़, ६ मई (प्रतिनिधि)

बीड़ नगर परिषद पर पिछले ३५ वर्षों से कब्जा जमाए बैठे क्षीरसागर परिवार पर अब जनता के बीच तीव्र आक्रोश व्यक्त हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और बीड़ नगर परिषद के पूर्व सभापति नवनाथ अण्णा शिराळे पाटील ने एक प्रेस नोट के माध्यम से आरोप लगाया है कि बीड़ शहर को पाइपलाइन के जरिए सप्लाई किए जा रहे पानी में सड़े-गले मरे हुए कुत्तों के अवशेष पाए गए हैं, और यह पानी ही नागरिकों को पीने के लिए दिया जा रहा है।

नवनाथ शिराळे ने कहा कि बीते कुछ दिनों से मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार बीड़ शहर को पानी सप्लाई करने वाली पाइपलाइन में मरे हुए कुत्ते पाए गए। यह पानी नागरिकों ने अनजाने में पी लिया। उन्होंने सवाल किया कि इससे जनता के स्वास्थ्य पर भविष्य में क्या असर पड़ेगा और इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? शिराळे पाटील ने आरोप लगाया कि क्षीरसागर परिवार ने ३५ वर्षों तक नगर परिषद की सत्ता केवल अपने और अपने समर्थकों के स्वार्थ पूर्ति के लिए भोगी, जबकि आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए तरसना पड़ा। पाइपलाइन व्यवस्था सही ढंग से नहीं बनाई गई, सड़कें खस्ताहाल हैं और जगह-जगह कचरे का साम्राज्य फैला हुआ है। यहां तक कि कई बार मल-मूत्र मिश्रित पानी भी नागरिकों को पीने के लिए मजबूर होना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि बीड़ शहर के मुख्य मार्गों जैसे धानोरा रोड सहित अन्य हिस्सों में सड़कें पूरी तरह गड्ढों में तब्दील हो चुकी हैं। बरसात के मौसम में विद्यार्थियों, बुजुर्गों और आम नागरिकों को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शिराळे ने यह भी कहा कि चुनाव के समय क्षीरसागर बड़े-बड़े वादे करते हैं, लेकिन उन्हें निभाने में पूरी तरह असफल रहे हैं। अब वक्त आ गया है कि जनता उन्हें हमेशा के लिए सत्ता से बाहर का रास्ता दिखाए। प्रेस नोट में उन्होंने स्पष्ट किया कि वे बीड़ शहरवासियों के साथ खड़े हैं और जनता को गंदा पानी पिलाने जैसे मामले में नगर प्रशासन से जवाबदेही तय करवा कर रहेंगे। जब तक बीड़ के नागरिकों को न्याय नहीं मिलेगा, वे चुप नहीं बैठेंगे।

आज महाराष्ट्र के १६ शहरों में युद्ध जैसी स्थिति की मॉक ड्रिल, मुंबई समेत संवेदनशील स्थानों पर निगरानी

जमीर काज़ी । मुंबई, ७ मई

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले की पृष्ठभूमि में केंद्र सरकार ने एहतियाती कदम के तौर पर देशभर के प्रमुख शहरों में युद्ध जैसी स्थिति से निपटने के लिए मॉक ड्रिल आयोजित करने का निर्णय लिया है। इस मुहिम में महाराष्ट्र के १६ शहरों को शामिल किया गया है। ये सभी मॉक ड्रिल बुधवार, ७ मई को एक साथ आयोजित की जा रही हैं।

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशभर के २५९ शहरों में मॉक ड्रिल आयोजित करने का आदेश दिया है। इसका उद्देश्य यह है कि अगर भविष्य में युद्ध जैसी या कोई गंभीर आपात स्थिति उत्पन्न हो तो नागरिकों को सतर्क रहने और प्रशासन को तुरंत कार्रवाई करने का अभ्यास हो सके। इसके लिए दिशा-निर्देश भी जारी किए गए हैं।

महाराष्ट्र के १६ शहर तीन समूहों में विभाजित:

पहला समूह (अत्यंत संवेदनशील स्थान):

मुंबई, उरण, और तारापुर

दूसरा समूह:

ठाणे, पुणे, नाशिक, रोहा-धाटाव-नागोठाणे, मनमाड, सिन्नर, थळ वायशेत, पिंपरी-चिंचवड

तीसरा समूह:

छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद), भुसावल, रायगढ़, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग

इन सभी शहरों में आज एक साथ मॉक ड्रिल आयोजित की जाएगी। नागरिक सुरक्षा प्रणाली को इन अभ्यासों के लिए पूरी तरह तैयार रहने का आदेश दिया गया है। प्रशासन के अनुसार, इस मॉक ड्रिल का मुख्य उद्देश्य संभावित युद्धजन्य या आपातकालीन परिस्थितियों से निपटने की प्रशासनिक और सुरक्षा व्यवस्था की तत्परता की परख करना है, ताकि भविष्य में किसी भी संकट के समय नागरिकों और व्यवस्थाओं को न्यूनतम नुकसान हो।

ऑपरेशन सिंदूर: भारत ने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की, ९ ठिकानों को किया ध्वस्त

रिपोर्ट:

७ मई २०२५ को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (झेघ) में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की। यह कार्रवाई २२ अप्रैल को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में की गई, जिसमें २६ नागरिकों की मौत हुई थी।

भारतीय वायुसेना ने राफेल जेट्स का उपयोग करते हुए डउ-डझ मिसाइलों और --डच् हैमर बमों से ९ लक्ष्यों को निशाना बनाया। इन लक्ष्यों में बहावलपुर, मुरिदके, सियालकोट, कोटली और मुज़फ्फराबाद में स्थित जैश-ए-मोहम्मद, लश्कर-ए-तैयबा और हिजबुल मुजाहिदीन के प्रशिक्षण शिविर शामिल थे।

पाकिस्तान ने इस कार्रवाई को युद्ध की कार्यवाही करार देते हुए प्रतिक्रिया में भारतीय विमानों को मार गिराने का दावा किया है। साथ ही, नियंत्रण रेखा (डेउ) पर भारी गोलीबारी की, जिसमें भारतीय क्षेत्र में तीन नागरिकों की मौत हुई।

अंतरराष्ट्रीय समुदाय ने इस बढ़ते तनाव पर चिंता व्यक्त की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दोनों देशों से संयम बरतने की अपील की है।

भारत सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह कार्रवाई आतंकवादी ढांचों के खिलाफ थी और नागरिकों या पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचाने का उद्देश्य नहीं था।

पृष्ठभूमि:

इससे पहले, भारत ने २०१६ में उरी हमले के बाद और २०१९ में पुलवामा हमले के बाद भी पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों पर सर्जिकल स्ट्राइक की थी। ऑपरेशन सिंदूर इन कार्रवाइयों की श्रृंखला में नवीनतम है, जो भारत की आतंकवाद के प्रति शून्य सहिष्णुता की नीति को दर्शाता है।

स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, और दोनों देशों के बीच आगे की कार्रवाई पर नजर रखी जा रही है।

उर्दू दैनिक तामीर के २५ वे साल में क़दम रखने पर एक और पेशकश

अहिल्यादेवी होळकर पर बनेगा मराठी समेत बहुभाषिक फिल्म; राज्य कैबिनेट की चौंडी बैठक में कई ऐतिहासिक फैसले

जमीर काज़ी । मुंबई, ६ मई

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर की ३००वीं जयंती के उपलक्ष्य में महाराष्ट्र सरकार ने उनके जीवन पर आधारित एक मराठी समेत बहुभाषिक व्यावसायिक फिल्म के निर्माण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की अध्यक्षता में चौंडी (अहिल्यानगर) में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में यह निर्णय लिया गया। यह फिल्म वैश्विक स्तर पर रिलीज की जाएगी, साथ ही टीवी और ओटीटी माध्यमों से भी प्रसारित होगी।

फिल्म निर्माण की कार्यान्वयन संस्था के रूप में महाराष्ट्र चित्रपट, रंगभूमी व सांस्कृतिक विकास महामंडळ, गोरेगांव को नियुक्त किया गया है। फिल्म के निर्देशक और निर्माण संस्था की चयन प्रक्रिया शासन के ७ अप्रैल २०२५ के निर्णय के अनुसार की जाएगी। इस ऐतिहासिक फिल्म के लिए विशेष अनुदान और बजट प्रावधान भी स्वीकृत किए गए हैं।

बैठक के अन्य प्रमुख निर्णय:

'आदिशक्ति अभियान' और 'आदिशक्ति पुरस्कार योजना'

महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए एक विशेष अभियान शुरू किया जाएगा। इसमें बालमृत्यु दर, मातृमृत्यु दर में कमी, शिक्षा, पोषण, सुरक्षा और पंचायत में महिला नेतृत्व को बढ़ावा देने जैसे उद्देश्य शामिल होंगे। इसके लिए १०.५ करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है।

राहुरी में वरिष्ठ दिवाणी न्यायालय की स्थापना

राहुरी (अहिल्यानगर) में वरिष्ठ स्तर का सिविल कोर्ट शुरू करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए एक न्यायिक अधिकारी, २० कर्मचारी और ४ आउटसोर्स कर्मियों की मंजूरी दी गई है।

नाशिक-त्र्यंबकेश्वर कुंभमेला प्राधिकरण की स्थापना

आगामी कुंभमेला की विशालता और प्रबंधन की दृष्टि से एक विशेष कुंभमेला प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसे लेकर अध्यादेश और नए पदों की मंजूरी भी दी गई है।

मिशन महाग्राम को २०२९ तक बढ़ाया गया

ग्रामीण क्षेत्रों में उडठ फंडिंग के माध्यम से विकास को बढ़ावा देने के लिए 'मिशन महाग्राम' कार्यक्रम को २०२९ तक विस्तार दिया गया है।

अहिल्यानगर में नया शासकीय मेडिकल कॉलेज

३००वीं जयंती के अवसर पर पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय और उससे जुड़े ४३० बेड के अस्पताल को मंजूरी दी गई है।

जल संरचनाओं के संरक्षण हेतु विशेष योजना

अहिल्याबाई द्वारा निर्मित तालाब, घाट, बारव, कुंड आदि जलसंरचनाओं के जीर्णोद्धार के लिए ७५ करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं। इसमें ३४ जल संरचनाएं शामिल हैं।

तीर्थस्थलों के विकास के लिए ५,५०३ करोड़ रुपये मंजूर

सात प्रमुख तीर्थस्थलों के लिए बड़े विकास प्रोजेक्ट्स की मंजूरी दी गई है, जिसमें चोंडी, तुळजाभवानी, त्र्यंबकेश्वर, महालक्ष्मी (कोल्हापुर), माहूरगड, जोतीबा मंदिर, अष्टविनायक आदि शामिल हैं।

राजे यशवंतराव होळकर इंग्लिश माध्यम निवासी शिक्षण योजना'

धनगर समाज के मेधावी विद्यार्थियों को अंग्रेजी माध्यम की आवासीय स्कूलों में शिक्षा देने की योजना को राजे यशवंतराव होळकर के नाम से जोड़ा गया है।

पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर वसतिगृह योजना'

धनगर समाज के पोस्ट-मैट्रिक विद्यार्थियों के लिए नवी मुंबई, पुणे, नाशिक, नागपुर, अमरावती और छत्रपती संभाजीनगर में छात्रावासों के निर्माण की योजना को मंजूरी मिली है।

अहिल्यानगर में छात्राओं के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (खढख)

छात्राओं के लिए एक विशेष सरकारी खढख संस्थान शुरू किया जाएगा। इसके लिए ३९ पदों की मंजूरी और सालाना २.३२ करोड़ रुपये के खर्च को स्वीकृति दी गई है। उपकरणों और संसाधनों के लिए ११.८० करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है।

सरकार के इन निर्णयों से पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर की स्मृति को देश-विदेश में पहचान मिलने के साथ-साथ राज्य में सामाजिक, शैक्षणिक और सांस्कृतिक विकास को नई दिशा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।

ओबीसी पालक रहें सतर्क, विद्यार्थियों को शैक्षणिक नुकसान न हो-सर्वधर्मीय ओबीसी संघटना ने जिल्हाधिकारी को सौंपा ज्ञापन

बीड, ६ मई (प्रतिनिधि)

हिंदू-मुस्लिम ओबीसी और भटके विमुक्त समाज के छात्रों को जाति वैधता प्रमाणपत्र न मिलने के कारण हो रहे शैक्षणिक नुकसान को लेकर आज ६ मई २०२५ को 'हिंदू मुस्लिम ओबीसी-भटके विमुक्त संघर्ष समिति' की ओर से जिल्हाधिकारी जॉन्सन को ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन समिति के जिला अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण जाधव और शहराध्यक्ष खुर्शीद आलम के नेतृत्व में दिया गया।

ज्ञापन में बताया गया कि ओबीसी समाज, भटके-विमुक्त जाति तथा जनजातियों की कई समस्याएं लंबे समय से लंबित हैं। इसमें प्रमोशन में आरक्षण की बहाली, क्रिमी लेयर की शर्त हटाना, वनार्टी संस्था को बार्टी, मार्टी, सारथी, महाज्योती जैसी संस्थाओं की तर्ज पर भरपूर निधि उपलब्ध कराना शामिल है।

विशेष रूप से, बारहवीं कक्षा के बाद आयोजित नीट, मेडिकल और सीईटी परीक्षाओं के बाद छात्रों के लिए जाति वैधता प्रमाणपत्र अनिवार्य हो गया है, परंतु कई छात्रों के प्रमाणपत्र के मामले अभी भी लंबित हैं। ऐसे में सभी सक्षम अधिकारियों से अनुरोध किया गया कि वे हिंदू-मुस्लिम उपजातियों, ईसाई, बौद्ध और अन्य ओबीसी समुदायों के छात्रों को तत्काल जाति वैधता प्रमाणपत्र प्रदान करें।

इसके अलावा, रमाई और शबरी घरकुल योजनाओं की तरह भटके विमुक्त समाज के लिए 'यशवंतराव चव्हाण मुक्त वसाहत घरकुल योजना' की जटिल शर्तो को हटाकर इसे प्रभावी ढंग से लागू करने, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के पात्र लोगों तक प्रधानमंत्री आवास योजना पहुँचाने, हर तालुका स्तर पर ओबीसी और भटके विमुक्त समाज के छात्रों के लिए छात्रावासों का निर्माण करने, छात्रवृत्ति वितरण सुनिश्चित करने, और वसंतराव नाईक महामंडल की तरह वित्तीय प्रावधान करने की मांग की गई।

भटकने वाले समुदायों को जाति प्रमाणपत्र, राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, आय प्रमाणपत्र, निवास प्रमाणपत्र आदि सरकारी दस्तावेज़ उपलब्ध कराने हेतु जिल्हाधिकारी द्वारा तहसीलदार, तलाठी, ग्रामसेवक और मुख्याधिकारी को निर्देश देकर उनके निवास स्थानों (वस्ती, तांडे, पाडे) पर जाकर दस्तावेजों का वितरण कराने की अपील की गई है।

इसके साथ ही संजय गांधी निराधार योजना, श्रावण बाल योजना, मुख्यमंत्री लाडकी बहन योजना, घरकुल और शौचालय जैसी योजनाओं में इन समुदायों को समुचित लाभ देने और संविधान के अनुच्छेद ३४० के अंतर्गत गठित विभिन्न आयोगों-जैसे कालेलकर, अग्रवाल, बापट, विधाते, रेनके, सच्चर, मुंशी, खाडे और अंत्रोळीकर समिति - की सिफारिशों को लागू करने की मांग भी ज्ञापन में की गई।

इस अवसर पर संगठन के जिला अध्यक्ष डॉ. लक्ष्मण जाधव, शहराध्यक्ष खुर्शीद आलम, ओबीसी जिला अध्यक्ष शेख जाकेर, मोमीन खालिद, गुलाम जहांगीर, मनोज चव्हाण, वज़ीर अत्तार, विजय गायकवाड़, फारूक मनियार, अशोक दुधाड, हकीम मनियार, नबील उजमा, मजीद भाई, सूर्यकांत जोगदंड, शकील इनामदार, सलाम सेठ, दत्ता जाधव, सैयद फिरोज, भीमराव हाळे, अजहर सौदागर, अब्बास इनामदार, प्रशांत डोरले, मोईज भाई आदि बड़ी संख्या में हिंदू-मुस्लिम ओबीसी समाज के लोग उपस्थित थे।

अब बहाने नहीं, तय समय में हों स्थानीय निकाय चुनाव

हर्षवर्धन सपकाळ का राज्य सरकार पर निशाना

जमीर काज़ी । मुंबई, ६ मई

महाराष्ट्र में स्थानीय स्वराज्य संस्थाओं के चुनाव चार महीनों में कराने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाळ ने राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सरकार अब और कोई बहाना न बनाए और बिना देरी किए चुनाव कराकर नगरसेवक, महापौर और सभापतियों की लोकतांत्रिक सत्ता बहाल करे।

सपकाळ ने कहा कि ७३वें संविधान संशोधन के जरिए देश में पंचायत राज व्यवस्था लागू की गई और सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ। इसके तहत नगरसेवक, नगराध्यक्ष, महापौर और सभापति जैसे पदों का निर्माण हुआ, लेकिन महाराष्ट्र में कई वर्षो से स्थानीय निकाय चुनाव ही नहीं कराए गए। उनका आरोप है कि केंद्र में मोदी-शाह और राज्य में फडणवीस को सत्ता अपने ही नियंत्रण में चाहिए थी, इसलिए जानबूझकर चुनाव टाल दिए गए।

अब जब सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट आदेश दिया है, तो सरकार को जल्द से जल्द चुनाव प्रक्रिया पूरी कर सत्ता जनता के प्रतिनिधियों को सौंपनी चाहिए।

चौंडी की कैबिनेट बैठक सिर्फ घोषणाबाज़ी न हो: हर्षवर्धन सपकाळ

चौंडी (अहिल्यानगर) में पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर की ३००वीं जयंती के अवसर पर हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में करीब ५,००० करोड़ रुपये की योजनाओं की घोषणाएं की गईं। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि राज्य सरकार की आर्थिक स्थिति को देखते हुए यह सवाल उठता है कि इन योजनाओं के लिए पैसा कहां से आएगा?

उन्होंने कहा कि लाडकी बहन योजना के लिए सरकार के पास निधि नहीं है, इसलिए सामाजिक न्याय विभाग का बजट ट्रांसफर किया गया। पिछले महीने डढ कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं थे, किसानों की कर्जमाफी अधर में है - तो इन योजनाओं की अमलवारी कैसे होगी?

सपकाळ ने याद दिलाया कि २०१४ के विधानसभा चुनावों में देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि सत्ता में आने के बाद पहले ही कैबिनेट बैठक में धनगर समाज को आरक्षण दिया जाएगा। अब वही वादा क्या हुआ, सबने देखा है। ऐसी ही स्थिति चौंडी बैठक की घोषणाओं की न हो, ऐसा व्यंग्यात्मक तंज सपकाळ ने कसा।

पहलगाम हमले पर केंद्र सरकार की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण: हर्षवर्धन सपकाळ

पहलगाम आतंकी हमले को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान का समर्थन करते हुए हर्षवर्धन सपकाळ ने कहा कि यदि खड़गे कह रहे हैं कि खुफिया विभाग को पहले से हमले की सूचना थी और सरकार ने कोई कदम नहीं उठाया, तो उनके अनुभव को देखते हुए इसमें गंभीरता हो सकती है। उन्होंने कहा कि खड़गे के पास ५० वर्षो का राजनीतिक अनुभव है, वे राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। उन्होंने जो सवाल उठाए हैं, उस पर केंद्र सरकार को अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। देश एकजुट है, और सरकार को इस हमले पर ठोस निर्णय लेकर स्पष्ट संदेश देना चाहिए। लेकिन हमले के १२ दिन बाद भी केंद्र की ओर से कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं आना, चिंताजनक है।

हाफ़िज़ क़ाज़ी वसीउद्दीन वज़ीरउद्दीन ने बलभीम कॉलेज से ९३.१७% अंक प्राप्त कर १२वीं (कॉमर्स) परीक्षा में परचम लहराया

बीड़ , रिपोर्ट : क़ाज़ी नासिर

हाफ़िज़ क़ाज़ी वसीउद्दीन वज़ीरउद्दीन ने १२वीं कॉमर्स की परीक्षा में बाळभीम कॉलेज, बीड़ से ९३.१७% अंक प्राप्त कर अपने परिवार, शिक्षकों और संस्थान का नाम रोशन किया है।

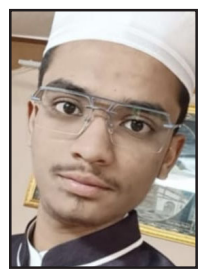

माशा'अल्लाह! यह सफलता उनकी कड़ी मेहनत□ माता-पिता की दुआओं और शिक्षकों की मार्गदर्शन का प्रतिफल है।

वसीउद्दीन ने मैट्रिक तक की शिक्षा मिल्लिया स्कूल से प्राप्त की थी और साथ ही उन्होंने हिफ़्ज़-ए-क़ुरआन (क़ुरआन को याद करना) (ग्रंथ मुकम्मल किया है।

उनकी यह उपलब्धि उन सभी विद्यार्थियों के लिए प्रेरणास्रोत है, जो धार्मिक शिक्षा के साथ-साथ आधुनिक शिक्षा में भी उत्कृष्टता प्राप्त करना चाहते हैं। उनकी अगली मंज़िल चार्टर्ड अकाउंटेंसी (उ-) है, और वे इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए संकल्पित हैं।

सारडा कैपिटल के स्पा सेंटर की आड़ में चल रहे देह व्यापार पर पुलिस का छापा; नाशिक की पीड़िता को छुड़ाया गया

बीड, ६ मई (प्रतिनिधि)

शहर के प्रमुख और व्यस्त इलाके सारडा कैपिटल के एक तहखाने में स्पा सेंटर की आड़ में देह व्यापार चलाया जा रहा था। इस गुप्त जानकारी के आधार पर बीड शहर पुलिस ने मंगलवार रात करीब ८ बजे डमी ग्राहक भेजकर कार्रवाई की। इस दौरान पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया और नाशिक की एक पीड़िता महिला को छुड़ाया।

गिरफ्तार आरोपी का नाम प्रमोद सदाशिव शेलके (निवासी नेकनूर, ता. बीड) है। शहर के सारडा कैपिटल परिसर में एक कोने में स्थित तहखाने में 'ब्लिस' नामक स्पा सेंटर चल रहा था। पिछले कुछ दिनों से यहां देह व्यापार संचालित होने की सूचना पुलिस को मिल रही थी।

मंगलवार शाम पुलिस ने एक डमी ग्राहक को १००० रुपये देकर स्पा सेंटर में भेजा। अंदर देह व्यापार चलने की पुष्टि होते ही पुलिस ने छापा मारा। इस कार्रवाई में एक पीड़ित महिला को रेस्क्यू किया गया। रात देर तक इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने की प्रक्रिया चल रही थी।

यह पूरी कार्रवाई पुलिस अधीक्षक नवनीत कवठ और अपर पुलिस अधीक्षक सचिन पांडकर के मार्गदर्शन में बीड शहर के पुलिस निरीक्षक शीतलकुमार बल्लाळ, मनोज परजणे, अशफाक सैयद, सुशेन पवार, सचिन अलगट और रेश्मा कवळे आदि अधिकारियों ने अंजाम दी।

दैनिक भारत की तामीर अखबार के मालिक, मुद्रक, प्रकाशक, संपादक काजी मखदूम शफीउद्दीन ने आरएम प्रिंटरर्स, बार्शी रोड, बीड 431122 महाराष्ट्र में मुद्रित कर के दैनिक तामीर, नगर परिषद परिसर, बशीर गंज, बीड, महाराष्ट्र कार्यालय से प्रकाशित किया है। मोबाइल : 9270574444 ईमेल : hinditameer@gmail.com वेबसाइट : www.dailytameer.com

daily Bharat ki tameer newspaper owner printer publisher editor Quazi makhdoom shafiuddin has printed at RM printers barshi road beed 431122 Maharashtra at published at office daily tameer nagar parishad complex Bashir gunj beed Maharashtra. Mobile : 9270574444 Email : hinditameer@gmail.com Website : www.dailytameer.com